अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

आदेश

संवेदक, सीमेन्स कन्सट्रक्शन कॉरपोरेशन, हाउस नं०–59, रोड नं०–11, हिल भियू कॉलोनी, डिमना, जमशेदपुर (निबंधन संख्या– अ०प्र०–श्रेणी–01 (प्रथम)–452/2013, पथ) को राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल गुलजारबाग के अन्तर्गत Improvement of ridding quality of existing carrageway from km. 1.90 to 14.00 (Length 12.10 km), Construction of 1 No of culvert in km. 13 and construction of 1 No H.L R.C.C Bridge in km. 9 of N.H 103 (Job No-0103-BR-2012-841) कार्य एकरारनामा संख्या–Central SBD No-13 of 2012-13 के द्वारा आवंटित किया गया था। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि 06.03.2013 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 05.06.2014 था।

संवेदक द्वारा कार्य प्रगति अत्यंत धीमी रखने एवं कार्य में शिथिलता बरतने के कारण कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गुलजारबाग के कार्यालय आदेश सं०–96–सहपठित ज्ञापांक–191 दिनांक 18.02.2016 द्वारा विखंडित कर दिया गया। तत्पश्चात् संवेदक द्वारा अभ्यावेदन के साथ शपथ–पत्र दिया गया, जिसके अनुसार 28 फरवरी 2017 तक सभी शेष कार्य पूर्ण करते हुए एक अन्तिम मौका की मांग की गयी थी। संवेदक के उक्त अभ्यावेदन एवं शपथ–पत्र पर विचार करते हुए राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2027 दिनांक 17.06.2016 द्वारा उक्त विखंडित आदेश को निरस्त करते हुए संवेदक को एक मौका दिया गया।

संवेदक द्वारा समर्पित शपथ–पत्र के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 28.02.2017 थी, परन्तु इनके द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया। संवेदक द्वारा समर्पित शपथ–पत्र के अनुसार कार्य पूर्ण करने तथा पूर्व में किये गये कार्य में आये Defects को दूर करने हेतु कार्यपालक अभियंता द्वारा बार–बार निदेश देने के बावजूद उनके द्वारा कार्य कराने में कोई रूचि नहीं ली गयी न ही Defects को दूर करने का प्रयास किया गया। अपने कार्य के प्रति उदासीन रहने एवं कार्य में कोई रूचि नहीं लेने के कारण पुनः कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गुलजारबाग के कार्यालय आदेश सं०–06–सहपठित ज्ञापांक–686 दिनांक 06.06.2017 द्वारा एकरारनामा को विखंडित कर दिया गया तथा पत्रांक–1026 दिनांक 30.08.2017 के माध्यम से संवेदक के विरूद्ध बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अनुरूप कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी।

कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गुलजारबाग के अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक–1046 (ई०) दिनांक 15.02.2018 द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। जिसके आलोक में संवेदक द्वारा उनके पत्र दिनांक 23.02.2018 द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया।

संवेदक द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उल्लेखित किया गया कि एकरारनामा के विखंडन के विरूद्ध उनके द्वारा मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No-551/2018 वाद दायर किया गया है, जिसपर सुनवाई होनी है। संवेदक द्वारा अपने स्पष्टीकरण में यह भी कहा गया कि उनके द्वारा विषयांकित कार्य का 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर दिया गया है, केवल 10 प्रतिशत पुल/पुलिया कार्य विद्युत पॉल सिफ्टिंग एवं अन्य स्थल समस्या के कारण बाधित है। एकरारनामा को विखंडित करने एवं पुनः संवेदक के शपथ–पत्र के आधार पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की गयी, परन्तु संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण करने में रूचि नहीं ली गई, जबकि कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गुलजारबाग के पत्रांक–1151 (अनु०) दिनांक 26.09.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि कार्य स्थल पर कार्य करने में कोई व्यवधान नहीं था।

अतः संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर सम्यक विचारोपरान्त उनके स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका– 11 (क) एवं विभागीय ज्ञापांक–5403 (एस) दिनांक–18.06.2015 द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश संख्या–154 दिनांक–18.06.2015 की कंडिका–8 (1) (a) में उल्लेखित प्रावधानों के आलोक में संवेदक सीमेन्स कन्सट्रक्शन कॉरपोरेशन, हाउस नं०–59, रोड नं०–11, हिल भियू कॉलोनी, डिमना, जमशेदपुर (निबंधन संख्या– अ०प्र०–श्रेणी–01 (प्रथम)–452/2013, पथ) को 10 (दस) वर्षों के लिए कालीकृत किया जाता है।

ह०/–
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– प्र०–7/विविध–86/2017– /पटना, दिनांक..

निबंधित

प्रतिलिपि :– सीमेन्स कन्सट्रक्शन कॉरपोरेशन, बी०–9, अभियंता नगर, आशियाना पोस्ट ऑफिस के नजदीक, पटना/ हाउस नं०–59, रोड नं०–11, हिल भियू कॉलोनी, डिमना, जमशेदपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– प्र०–7/विविध–86/2017– /पटना, दिनांक..

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव, प०नि०वि०/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ जल संसाधन विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ ऊर्जा विभाग/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक– प्र०–7 / विविध–86 / 2017– **/ पटना, दिनांक..**

प्रतिलिपि :– सभी मुख्य अभियंता, (रा०उ०पथ उपभाग सहित) / सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित) / सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०पथ प्रमंडल सहित), पथ निर्माण विभाग / उप सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– प्र०–7 / विविध–86 / 2017– 2125 (E) **/ पटना, दिनांक**.....20/3/18.....

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना / कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय Website पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

20/3/18

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

20/3/18

D:\NEHA SINHA\2012 KA NEW FOLDER\SUNIL\BLACKLISTING\SIEMENS CONSTRUCTION.DOCX